प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दांडिक पुनरीक्षण संख्या 359/2010

आदेश सुरक्षित किया गया :05/05/2025

आदेश पारित किया गया :09/05 /2025

1. शब्बीर हुसैन, पिता मसीर हसन, 34 वर्ष ,

2. शमीम खान, पिता दिलसन खान, 36 वर्ष दोनों तेलाईधर, पुलिस थाना सीतापुर जिला सुरगुजा, छत्तीसगढ़,

3. मसरूर आलम, पिता आबिद खान (मृत्यु हो गई) (हटा दिया गया) माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21/10/2022 तथा 27/01/2023 अनुसार।

---आवेदनकर्ता

बनाम

• छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा , पुलिस थाना सीतापुर जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

आवेदकों हेतु : सुश्री श्रिया जैसवाल,अधिवक्ता सुश्री अनुभूति मार्हास अधिवक्ता की ओर से

राज्य/उत्तरवादी हेतु :सुश्री स्मिता झा, पैनल अधिवक्ता

माननीय राधाकिशन अग्रवाल ,न्यायाधीश

सीएवी आदेश

1. वर्तमान आवेदकों ने चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अंबिकापुर, जिला – सरगुजा, छत्तीसगढ़ द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 43/2009 में दिनांक 24.07.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध दं.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्र. सं. की धारा 397 सहपठित धारा 401 के तहत यह दाण्डिक पुनरीक्षण पेश किया है, जिसके तहत विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया था, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर, जिला – सरगुजा, छत्तीसगढ़ द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 448/2007 में दिनांक 30.04.2009 को पारित निर्णय की पुष्टि की थी, जिसमें आवेदकों को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 304–ए के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें प्रत्येक को छह महीने के लिए कठोर कारावास और 400/– रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया गया था , इसके चूक होने पर दो महीने के लिए अतिरिक्त कारावास दंड भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि 05.05.2004 को अभियुक्तगण/आवेदकों ने अपनी गेहूं की फसल के लिए थ्रेशर मशीन लगाई थी, जो विद्युत धारा से चलने वाली थी।आरोप है कि आवेदकों ने गांव के ही शाहजहां (मृतक) को बुलाया और उसे विद्युत पोल पर चढ़कर थ्रेशर तार जोड़ने को कहा और कहा कि उन्होंने सीतापुर के लाइनमैन से बात कर ली है, जिसने लाइन पर विद्युत धारा काट दी है और आगे बताया कि लाइन दोपहर करीब 3:00–4:00 बजे फिर से जोड़ दी जाएगी।जब शाहजहां पोल पर काम कर रहा था, तभी विद्युत लाइन चालू हो गई, जिससे वह विद्युत धारा के संपर्क में आ गया और झुलस गया तथा पोल से नीचे गिर गया। इसके बाद उसे सीतापुर के अस्पताल ले जाया गया था।इसके बाद जब उसे डॉक्टर की सलाह पर रायपुर ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में रात करीब 11:00 बजे उसकी मौत हो गई।मंसूर खान (पीडब्लू–01) जो मृतक का भाई है, ने इजराइल खान और अख़बार खान (पीडब्लू–05) के साथ मिलकर 06.05.2004 को मर्ग सूचना (एक्स.पी–1) दर्ज कराई और एफ.आई.आर. एक्स.पी–4 के तहत दर्ज की गई। एक्स.पी–2 के तहत जांच की गई और मृतक के शव को एक्स.पी–3 के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसे डॉक्टर ने एक्स.पी–07 के तहत रिपोर्ट दी और कहा कि मृतक की मौत कार्डियो–रेस्पिरेटरी अरेस्ट और स्पाइनल शॉक के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अन्वेषण के दौरान प्र.पी–5 के तहत घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षीयों के बयान दं. प्र. सं. कि धारा 161 के तहत दर्ज किए गए।

4. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्त/आवेदकों ने अपने दोष से इनकार किया तथा विचारण की प्रार्थना की।

5. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विद्वान जेएमएफसी के न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने आवेदकों को इस आदेश के कंडिका एक में उल्लेखित अनुसार दोषी करार करते हुये दंड पारित किया गया ।अतः , यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है ।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जेएमएफसी के न्यायालय के साथ–साथ अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किए बिना, उपरोक्त अपराध के लिए आवेदकों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने का निर्णय उचित नहीं था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के

साक्षीयों के बयानों में भौतिक असंगतियाँ हैं और उनके बयान एक–दूसरे के साथ विधिवत रूप से पुष्ट नहीं हैं। । कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन पक्ष के साक्षी अनुश्रुत बातो पर आधारित साक्षी हैंइसके अलावा, मृतक मंसूर खान (पीडब्लू–01) के भाई द्वारा दर्ज कराई गई विलय सूचना (एक्स.पी–1) में आवेदक संख्या 2 – शमीन खान का नाम उल्लेखित नहीं है।वह आगे प्रस्तुत करती है कि मंसूर खान ने अपने प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतक इलेक्ट्रीशियन नहीं था बल्कि वह एक मैकेनिकल कर्मचारी था।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इन आधारों पर, आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि आवेदकों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाए। 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 628 में रिपोर्ट किए गए **नंजुंदप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा गया है।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णयों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि जेएमएफसी न्यायालय के साथ–साथ अपीलीय न्यायालय ने आवेदकों को सही रूप से दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया है और इसमें कोई अवैधानिकता या दुर्बलता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. मंसूर खान (पीडब्लू–01) ने अपने बयान में कहा है कि घटना के दिन वह सीतापुर में था और उसने घटना नहीं देखी है।अख्तर हुसैन (पी.डब्लू.–02) द्वारा उसे बताया गया कि अभियुक्तगण उसके भाई (मृतक) को थ्रेसर का तार जोड़ने के लिए बुलाये थे तथा जब वह विद्युत पोल में तार जोड़ रहा था, तो उसे करंट लग गया तथा वह गिर गया और उसे चोटें आईं, तत्पश्चात उसे उपचार हेतु सीतापुर अस्पताल ले जाया गया था। ऐसी सूचना पर जब यह साक्षी अपने भाई को देखने सीतापुर अस्पताल गया, तो मृतक ने उससे कहा कि उसने अभियुक्तगणों पर विश्वास करके भूल की है। यद्यपि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसका भाई (मृतक) इलेक्ट्रीशियन नहीं था तथा वह मैकेनिकल कार्य करता था। इस प्रकार, इस साक्षी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह साक्षी अनुश्रुत बात का साक्षी है तथा मृतक पर अभियुक्तगणों द्वारा थ्रेसर मशीन में तार जोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया था।इसके अलावा, इस साक्षी ने मर्ग सूचना दर्ज करते समय (एक्स.पी–1) आवेदक संख्या 2 – शमीम खान का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया है और यह भी प्रतीत होता है कि मृतक इलेक्ट्रीशियन नहीं था।

10. अख्तर हुसैन (पीडब्लू–02) ने अपने बयान में कहा है कि उसने घटना नहीं देखी है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसे नहीं पता कि मृतक को बिजली का झटका कैसे लगा।उसने आगे स्वीकार किया कि मृतक एक वयस्क और समझदार व्यक्ति था।उन्होंने आगे स्वीकार किया कि आमतौर पर हर व्यक्ति जानता है कि बिजली के खंभे पर नहीं चढ़ना चाहिए अन्यथा इसके घातक परिणाम हो सकते हैं।

11. इसराफिल खान (पीडब्लू–03) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मृतक की पत्नी के कहने पर वह इजाजुल के घर गया जहां मृतक एक खाट पर लेटा हुआ था और जब उसने घटना के बारे में पूछा तो मृतक ने उसे बताया कि आरोपी शब्बीर और अख्तर ने उसे बिजली के खंभे में तार जोड़ने के लिए कहा था और जब वह बिजली के खंभे पर चढ़ा तो उस समय वह बिजली के संपर्क में आ गया और उसे करंट लग गया। हालांकि, मंसूर खान (पीडब्लू–01) जिसने मर्ग सूचना दर्ज कराई (एक्स.पी–1) ने यह नहीं कहा है कि मृतक ने कथित घटना के बारे में इस गवाह (इसराफिल खान) को सूचित किया था।

12. अकबर खान (पीडब्लू–05) जो मंसूर खान (पीडब्लू–01) के साथ विलय की सूचना (एक्स.पी–1) दर्ज कराने गया था, ने कहा है कि घटना दिनांक को वह अपने घर में था, उस समय उसके पोते आसिफ खान ने उसे बताया कि मृतक शाहजहां को बिजली का करंट लग गया है और वह सीतापुर अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद यह साक्षी मृतक को देखने सीतापुर अस्पताल गया लेकिन मृतक ने उसे कथित घटना के बारे में नहीं बताया और इसके अलावा उसे कथित घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था।हालांकि, इस साक्षी ने अपने बयान (एक्स.पी–6) में कहा है कि जब वह मृतक को देखने सीतापुर गया था, उस समय मृतक होश में था। इसके अलावा, आसिफ खान जिसने उसे घटना के बारे में बताया था, उससे भी अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सभी साक्षी प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं और उनके साक्ष्य मृतक की मृत्यु को अभियुक्तों द्वारा की गई लापरवाही से नहीं जोड़ते हैं, इसके अलावा, उपरोक्त गवाह अपने बयान से पलट गया है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।इसी तरह, नईम खान (पीडब्लू–06), सेजान उर्फ सेजम खान और रोजन खान (पीडब्लू–07) ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है क्योंकि वे भी अपने बयान से पलट गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. लापरवाही से मौत का मामला बनाने के लिए अभियोजन पक्ष को सबसे पहले लापरवाही साबित करनी होगी और फिर अभियुक्तगण की लापरवाही और मृतक की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित करना होगा।इस संबंध में, भा.दं. सं. की धारा 304–ए सुसंगत है तथा इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 304A. लापरवाही के कारण मृत्यु ।– जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा करता है जो सदोष मानववध की कोटि में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"

14. **कुर्बान हुसैन मोहम्मदली रंगावाला बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले** में, जिसकी रिपोर्ट 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 162 में दी गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने लापरवाहीपूर्ण कृत्य से निराकरन करते समय सम्राट **वी ओमकार रामप्रताप (1902) चतुर्थ बॉम एलआर 679** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया था, जिसमें भा.दं. सं. की धारा 304–ए की व्याख्या की गई थी।कंडिका 3 सुसंगत है जो निम्नानुसार हैः

"3. हम इस संबंध में एम्परर बनाम ओमकार प्रमप्रताप का संदर्भ दे सकते हैं, जहां सर लॉरेंस जेनकिंस को धारा 304–ए की व्याख्या करनी थी और उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की थी: भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ए के तहत आपराधिक दायित्व लगाने के लिए, यह आवश्यक है कि मृत्यु अभियुक्त के जल्दबाजी और लापरवाही भरे कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम हो, और वह कार्य किसी अन्य की

लापरवाही के हस्तक्षेप के बिना निकटतम और कुशल कारण होना चाहिए। यह कारण होना चाहिए; यह पर्याप्त नहीं है कि यह अनिवार्य कारण हो सकता है....."

15. उपरोक्त के अलावा, नंजुंदप्पा (सुप्रा) में, लापरवाही से चोट के लिए एक कार्यवाही में प्रयोज्यता से निराकरण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त की लापरवाही और मृतक की मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। कंडिका 8, 9, 11 और 12 इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"8. यहां तक कि पी.डब्लू. 15 का साक्ष्य भी परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिसने कहा कि जॉब शीट के अनुसार, अपीलकर्ता पुलिस क्वार्टर में काम कर रहे थे; हालांकि, ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो निर्णायक रूप से कह सके कि अपीलकर्ता वास्तव में कथित स्थान पर काम कर रहे थे।"

9. यहां सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य (1980) 1 एससीसी 30:1979 क्रि एलजे 1374 के मामले में दिए गए कथन पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जिसमें इस न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि रेस इप्सा लोक्विटुर स्ट्रिक्टो सेंसु का सिद्धांत आपराधिक मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही से चोट पहुंचाने के मामले में इसकी प्रयोज्यता सर्वविदित है।सैयद अकबर (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने कहा: "29. किसी विवाद्यक में किसी तथ्य को दूसरे परिस्थितिजन्य तथ्य से अनुमान लगाने की सामान्य विधा के एक भाग के रूप में रिस इप्सा लोक्विटर की धारणा का ऐसा सरलीकृत और व्यावहारिक अनुप्रयोग उन सभी सिद्धांतों के अधीन है, जिनकी संतुष्टि किसी अभियुक्त को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले आवश्यक है।ये हैं:

सबसे पहले, दुर्घटना को बनाने वाली वस्तुगत परिस्थितियों सहित सभी परिस्थितियों, जिनसे दोष का अनुमान लगाया जाना है, को दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।दूसरे, उन परिस्थितियों में एक निर्णायक प्रवृत्ति होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है।तीसरे, परिस्थितियों को एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को उचित रूप से न उठा सकें।कहने का मतलब है, उन्हें उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए, तथा उसके अपराध के बारे में समस्त उचित संदेह को अनुमानित रूप से बाहर कर देना चाहिए।

"11. इस न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ताओं को भा.दं. सं. कि धारा 304 ए के साथ धारा 34 के तहत लापरवाही का दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं था।

12. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले लापरवाही साबित करनी होगी और फिर अभियुक्त की लापरवाही और पीड़ित की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित करना होगा। अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत विभिन्न साक्षीयों में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभिलेख पर लाया गया कोई भी साक्ष्य केवल परिस्थितिजन्य प्रकृति का है।हम अपनी टिप्पणी को दोहराने के लिए बाध्य हैं कि यह पूरी तरह से बेतुका लगता है कि एक टेलीफोन तार में 11 केवी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करंट था जो संपर्क में आने पर पिघले बिना था और जब ऐसा करंट टेलीविजन सेट से होकर गुजरा, तो यह विस्फोट नहीं हुआ और पूरे घर की वायरिंग पिघल नहीं गई।यह और भी अविश्वसनीय है कि अपीलकर्ता सं 2 उसी वोल्टेज के संपर्क में आया और कुछ खरोंचों के साथ बच निकलने में सफल रहा है।इसलिए अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं; खासकर तब, जब अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करने के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट नहीं है।"

16. इस प्रकार, जब वर्तमान मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित मामले के प्रकाश में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु पूर्णतः उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई थी। इसके अलावा, मृतक के भाई मंसूर खान (पीडब्लू–01) के साक्ष्य के अनुसार, मृतक को विद्युत कार्य की जानकारी नहीं थी और वह यांत्रिक कार्य करने के बारे में जानता था और मामले के इस दृष्टिकोण से, यदि मृतक को विद्युत संबंधी कार्यों की जानकारी नहीं थी, तो वह तार जोड़ने के लिए स्वयं विद्युत पोल पर क्यों चढ़ा और, इस प्रकार, रिकॉर्ड से यह प्रकट होता है कि मृतक स्वयं ऐसे लापरवाही भरे कार्य करने में शामिल था।यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि मृतक एक वयस्क और समझदार व्यक्ति था और बिजली के काम के जोखिम के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो उसके जीवन के लिए हानिकारक हो और यदि उसने ऐसा किया, तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि मृतक की मृत्यु अभियुक्त व्यक्तियों/आवेदकों के कृत्य के कारण हुई थी। इस मामले के तहत, यह न्यायालय इस राय पर है कि अभियुक्त व्यक्ति/आवेदक दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. तदनुसार, जेएमएफसी के न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2009 को पारित दोषसिद्धि औरदंड का आक्षेपित निर्णय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2010 को पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ए के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता हैं।

18. परिणामस्वरूप, दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकृति दी जाती है।

19. चूंकि आवेदकों को जमानत पर बताया गया है, इसलिए, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 437–ए के प्रावधान के तहत उनके जमानत बांड आज से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

सही/–

(राधाकिशन अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur